ज्ञापांक–4325/Tech./2021

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–29वीं दिसम्बर 2021

सेवा में,

Mr Kushal More,
SHALIMAR PELLET FEEDS LIMITED,
9 AJC Bose Road, Ideal Center,
Above Ducati Showroom, 5th Floor, Kolkata-700017

विषयः– **मौजा–Konra, प्लाट नं0–696P, 697P, 704P, खाता संख्या–13, 40, 53, वार्ड नं0–N/A, थाना–बरही–72 जिला–हजारीबाग में प्रस्तावित Shalimar Pellet Feeds Limited फैक्ट्री भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित प्रस्तावित Shalimar Pellet Feeds Limited फैक्ट्री भवन के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, बरही, हजारीबाग के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–201 दिनांक–13.12.2021 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त फैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है :–

1. प्रस्तावित फैक्ट्री परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय। किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस अंडरग्राउंड टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन किये जाने की व्यवस्था की जाय।
2. प्रस्तावित फैक्ट्री भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 150mm डायावाले एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें प्रयेक 30-30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय।
3. प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं दो–दो अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
4. प्रस्तावित फैक्ट्री भवन के अग्नि व्यवस्था के लिए कम से कम 3 Kg/Centimeter square के दाब पर हर जगह जलापूर्त्ति उपलब्ध रहे। इसके लिए शक्तिशाली पम्प की व्यवस्था की जाय।
5. फैक्ट्री के कार्यालय एरिया में Heat Detector एण्ड अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय।
6. फैक्ट्री परिसर के जिन क्षेत्रों में गृश/ऑयल का भंडारण का प्रस्ताव है, उन क्षेत्रों को Foam Pourer सिस्टम से सुरक्षित रखा जाय।
7. अग्निशमन एवं अन्य आकस्मिक सेवाओं के फोन नं0 का Display उचित स्थानों पर किया जाय।
8. फैक्ट्री भवन में अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प रूम का निर्माण कराया जाय, जिसमें 1620 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. फैक्ट्री भवन परिसर में निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
   i. DCP Fire Extinguisher 25 kg - 01 अदद।
   ii. Fire Bucket - 04 अदद।
   iii. Fire Hook - 02 अदद।
   vi. Fire Bitter - 02 अदद।
   v. Form Extinguisher 09 Ltr - 02 अदद।
10. फैक्ट्री भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
11. फैक्ट्री भवन में 12 वर्ष से कम आयु अथवा मंद व्यक्तियों, शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों को नियोजन पर नहीं लगाया जाय।

12. फैक्ट्री भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 06Kg क्षमता वाले एक–एक अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
13. फैक्ट्री भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
14. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 4.5के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 4.5के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
15. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Auto Modular Fire extinguisher से सुरक्षित किया जाय। विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के नीचे फर्श पर कम से कम 30mm मोटा रबड़ मैट का संस्थापन कराया जाय।
16. फैक्ट्री भवन में Manually Operated Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भण्डारण परिसर में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
17. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
18. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
19. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
20. फैक्ट्री भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
21. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2021.12.30 11:47:36 +05'30'

(जगजीवन राम),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।